



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17072024-255490
CG-DL-E-17072024-255490

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 192]
No. 192]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 16, 2024/आषाढ 25, 1946
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 16, 2024/ASHADHA 25, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)
सार्वजनिक सूचना
नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2024
सं. 14/2024-2025

विषय: प्रक्रिया पुस्तक, 2023 के पैरा 4.49 (ख) में संशोधन।

फा.सं. 01/94/180/082/एएम24/पीसी-4 से जारी—समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा प्रक्रिया पुस्तक 2023 के पैरा 4.49 (ख) के प्रावधानों में निम्नानुसार संशोधन करते हैं:

मैजूदा पैरा 4.49 (ख)	संशोधित पैरा 4.49 (ख)
यदि निर्यात दायित्व मात्रा के अनुसार पूरा कर लिया है लेकिन मूल्य के अनुसार इस में कमी आ गई है तो प्राधिकार पत्र धारक पर न्यूनतम निर्धारित मूल्य संवर्धन प्राप्त करने पर जुर्माना नहीं लगाया जायेगा। तथापि,	यदि निर्यात दायित्व मात्रा के अनुसार पूरा कर लिया है लेकिन मूल्य के अनुसार इस में कमी आ गई है तो प्राधिकार पत्र धारक पर न्यूनतम निर्धारित मूल्य संवर्धन प्राप्त करने पर जुर्माना नहीं लगाया जायेगा। तथापि, मूल्य

मूल्य संवर्धन यदि निर्धारित न्यूनतम मूल्य संवर्धन से नीचे आ जाता है तो प्राधिकार पत्र धारक को डीजीएफटी की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाईन पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य में कमी के 3 प्रतिशत राशि के बराबर भारतीय रुपये में जमा करना अपेक्षित होगा।	संवर्धन यदि निर्धारित न्यूनतम मूल्य संवर्धन से नीचे आ जाता है तो प्राधिकार पत्र धारक को डीजीएफटी की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाईन पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य में कमी के 1 प्रतिशत राशि के बराबर भारतीय रुपये में जमा करना अपेक्षित होगा।
--	--

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार
और पदेन अपर सचिव

सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: व्यापार को सुगम बनाने और अनुपालनों में कटौती करने हेतु संरचना शुल्क को कम करके प्रक्रिया पुस्तक, 2023 के पैरा 4.49(ख) को संशोधित किया गया है।

MINISTRY AND COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 16th July, 2024

No. 14 /2024-25

Subject: Amendment in Para 4.49 (b) of the Handbook of Procedures, 2023

F. No. 01/94/180/082/AM24/PC-4— In exercise of powers conferred under paragraph 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy 2023, as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in the provisions of Para 4.49 (b) of the Handbook of Procedures 2023:

Existing para 4.49 (b)	Amended para 4.49 (b)
If the Export Obligation is fulfilled in quantity but there is shortfall in value, no penalty shall be imposed if Authorisation holder has achieved minimum Value Addition prescribed. However, if Value Addition falls below the minimum Value Addition prescribed, Authorisation holder shall be required to deposit an amount equal to 3% of shortfall in FOB value in Indian Rupee, online through DGFT website.	If the Export Obligation is fulfilled in quantity but there is shortfall in value, no penalty shall be imposed if Authorisation holder has achieved minimum Value Addition prescribed. However, if Value Addition falls below the minimum Value Addition prescribed, Authorisation holder shall be required to deposit an amount equal to 1% of shortfall in FOB value in Indian Rupee, online through DGFT website.

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade
Ex-officio Addl. Secy.

Effect of the Public Notice: Para 4.49 (b) of the Handbook of Procedures, 2023 has been amended, reducing the composition fee, for ease of doing business and reducing compliances.